

राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप-12) विभाग

क्रमांक प.1(6)गृह-12/कारा/2025-24809

जयपुर, दिनांक : e-signed date

—: आदेश :—

राजस्थान कारागार विभाग में अधीक्षक ग्रेड-11 के पद की वर्ष 2015-16 की दिनांक 13.05.2025 एवं दिनांक 20.05.2026 को आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की अभिशंषा में श्री रामजीलाल मीणा, उपाधीक्षक कारागार के विरुद्ध भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर में दर्ज प्रकरण संख्या 374/2002 में दिनांक 02.07.2009 को माननीय न्यायालय में चालान पेश उपरांत प्रकरण माननीय सेशन न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जोधपुर में विचाराधीन होने के कारण श्री मीणा की पदोन्नति (रिवित दिनांक 01.04.2015) की अनुशंषा को न्यायालय के निर्णय के अध्यक्षीन बन्द लिफाफे (सील कवर) में रखे जाने का निर्णय लिया गया।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के आदेश दिनांक 24.05.2017 के द्वारा अन्तरित होने के उपरांत माननीय न्यायाधीश डेजिग्नेटेड कोर्ट, अजमेर ने श्री रामजीलाल मीणा (सेवानिवृत्त, उपाधीक्षक) को उक्त प्रकरण में पर्याप्त साक्ष्याभाव के कारण सन्देह का लाभ दिया जाकर निर्णय दिनांक 12.08.2025 के द्वारा दोषमुक्त किये जाने तथा विधि (प्रकोष्ठ-4) विभाग द्वारा उक्त निर्णय के विरुद्ध नो-अपील का निर्णय लिये जाने के फलस्वरूप श्री मीणा के चयन के बन्द लिफाफे को खोला जाकर डीपीसी की अभिशंषा के आधार पर राजस्थान जेल सेवा नियम, 1959 के नियम 23 के अन्तर्गत वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर श्री रामजीलाल मीणा (सेवानिवृत्त उपाधीक्षक) को अधीक्षक ग्रेड-11 के पद पर वर्ष 2015-16 में रिवित दिनांक 01.04.2015 के विरुद्ध एतद्वारा पदोन्नत किया जाता है।

श्री मीणा को पदोन्नति का वेतन लाभ सेवानिवृत्ति दिनांक तक काल्पनिक आधार पर देय होगा।

आज्ञा से,

(दीपक कुमार)

महानिरीक्षक गृह

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अति. मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय गृह राज्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
3. प्रधान महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, गृह विभाग।
5. महानिदेशक, कारागार, राजस्थान, जयपुर।
6. सम्बन्धित अधिकारी मार्फत महानिदेशक, कारागार, राजस्थान, जयपुर।
7. प्रोग्रामर, गृह (ग्रुप-6) विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
8. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।

महानिरीक्षक गृह

प्रतिलिपि सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को सूचनार्थ प्रेषित है।

महानिरीक्षक गृह